कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ। (1)

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० विजय कुमार बनाम कालीचरण यादव

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 46 /2021–22

वाद का प्रकार – सिविल वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
01-11-2021	आवेदक विजय कुमार पिता स्व. बनवारी लाल साव ग्राम- बेरी पो- मुरपा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा- झिगुआ के CS खाता नं० 18 प्लॉट नं० 136 रकबा 2½ डिसमिल बनवारीलाल साव वगैरह के नाम से खतियानी है। इस सर्वे खतियान में रामबल्लभ यादव पिता स्व इन्द्रदेव यादव ग्राम- मनिका के नाम से दर्ज हो गया है जिसकारण कालीचरण यादव पिता स्व वंशनाथ यादव द्वारा जबरन उक्त भूमि में (घर बनाने) गृह निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कारवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। वाद की अगली तिथि को अपने- अपने दावे के समर्थन में कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे। वाद की अगली तिथि 10.11.21 निर्धारित की जाती है। 1.11.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	A-4482 10-10-2021

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

विजय कुमार उरांव से कालीचरण उरांव

आदेश पत्रक – ता० विजय कुमार उरांव से कालीचरण उरांव

वाद संख्या– 46 /2021–22

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार – सिविल वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। दोनों पक्षकार के तर्क एवं सुना। दोनों पक्ष को एक सप्ताह का कागजात जमा करने हेतु दिया जाता है। अभिलेख दिनांक 11.12.21 को रखें। (हस्ताक्षर) 18.11.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
11-12-2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने से वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद को अगली तिथि 11-01-2022 को निर्धारित की जाती है। (हस्ताक्षर) 11.12.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ———————— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 46 /2021-22

वाद का प्रकार – सिविल वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.01.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अंचल अधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 17.02.2022 को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
17.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। सरकार के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वाद की कार्यवाई संभव नहीं हो सकी। अगली तिथि 7.3.22 को है। 17.2.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

नकलों के लिए दरख्वास्त —

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

से

आदेश पत्रक – सं०

अंचल -- बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 46 /2021

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
07-03-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष का कहना है खाता नं 18, प्लाट 131 (नया खाता-114, प्लाट 267) में केवाला की जमीन और प्लाट है। प्रथम खाता में ऑनलाइन रसीद निर्गत हो। ऑनलाइन रसीद निर्गत की जाए। द्वितीय पक्ष का कहना है उसी खाता में मेरी जमीन है। राजस्व कर्मी से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 24.3.22 को रखें। 7.3.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ
24.03.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। राजस्व कर्मी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। वाद को कायम है। दिनांक 8.4.22 रखें। अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – सा० —————————— से —————————— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 46 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8-4-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य मे व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नही हो सकी। अभिलेख 28.04.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ	
28.4.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य मे व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नही हो सकी। अभिलेख 04.06.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ	

नकलों के लिए दरख्वास्त

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ____________ से ____________

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 46 /2021–22

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
4-6-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख 18.06.2022 उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ
18.6.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 28.6.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ। (1)

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ———— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 46 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.6.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित [illegible] दस्तावेज के द्वारा [illegible] उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं। अभिलेख दिनांक 9.7.22 को आदेश पर रखें। [signature] 28/6/22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
9.7.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 29.7.22 को उपस्थापित करें। [signature] अंचल अधिकारी बालूमाथ	
29.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 10.8.22 को उपस्थापित करें। [signature]	

नकलों के लिए दरख्वास्त —

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार　　　　वाद संख्या– 46 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
10-8-22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नही हो सकी। अभिलेख दिनांक 26.8.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ
26.8.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नही हो सकी। अभिलेख दिनांक 3.9.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

(5)

आदेश पत्रक

पत्रक – ता० ———— से ———— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार ———— विविध वाद

वाद संख्या– 46 /2021–22

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
3.9.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 19.09.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
19.9.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो पायी। वाद को अगली दिनांक 28.9.22 को रखें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
28.9.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्षकार का कहना है कि मौजा – झिंगुआ, खाता – 18, प्लाट – 136, रकबा – 2½ डी० (R.S खाता – 114, प्लाट – 264, रकबा – 2½ डी०) भूमि पर मेरा अधिकार है। सादिक के रूप में प्रथम पक्षकार के द्वारा	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ---------------- से ----------------

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 56 /2021–22

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई कार... बारे में ... तारीख
1	2	3
28.7.22 लगातार	1967 में पलटू महतो व सोहराई महतो वगैरह के द्वारा की गई भूमि ~~का~~ का कायम एवं आफलाईन लगान रसीद दिखाया गया। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि उक्त खाता एवं प्लाट की रकबा 24 डी० भूमि मेरी पूर्वज की है तथा उनके द्वारा आफलगान रसीद दर्शाया गया। उभय पक्षकारों के द्वारा दिए गए सभी तर्कों एवं कागजों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि विवाद हाल रहे है। उक्त भूमि कायम होने के कारण तथा R.S खाता-114, प्लाट-254, रकबा-4 डी० भगवान महतो व पलकधारी भगत के नाम से पाए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। प्रथम पक्षकार विजय कुमार पिता- बनवारीलाल साव के द्वारा 1967 में केवाला से C.S खाता-18, प्लाट-136, रकबा 24 डी० भूमि पलटू महतो व सोहराई महतो वगैरह से क्रय की गयी तथा जमाबन्दी कायम करवाते हुए आफलाईन	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(6)

पत्रक – ता० ———————— से ———————— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 50 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28. 9.22 लगातार	अज्ञात दाखिल खारिज करवाई गयी। द्वितीय पक्षकार के द्वारा C.S खाता- 18, प्लाट- 196, रकबा- 2½ डि० भूमि 1982 में [illegible] से क्रय की गयी। जमाबंदी कायम करते हुए, अज्ञात दाखिल खारिज करायी गयी। उक्त विवादित भूमि पर तीसरा पक्षकार टोहन गोप पिता- महावीर गोप भी है जो 2003 में देवकी देवी से 1½ डि० भूमि उसी खाता एवं प्लाट से क्रय की गयी थी। उक्त तीसरा पक्षकार का विविध वाद 50/21-22 के द्वारा [illegible] है। उक्त वाद की द्वितीय पक्षकार के पास केवल 1½ डि० भूमि शेष है क्योंकि अशोक साहू की एक पार्टी पटना अर्जित की द्वारा अपने हिस्से 1½ डि० भूमि देवकी देवी को बिक्री कर चुके थे। यह भूमि तीसरे पक्षकार टोहन गोप के द्वारा 2003 में क्रय की गयी थी। द्वितीय पक्षकार का कहना है यह एक संयुक्त सम्पत्ति है जो बटवारा में अशोक साहू को प्राप्त हुई थी परन्तु कोई साक्ष्य देने में विफल रहे।	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 46 /2021–22

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	
28.9.22	सभी पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गये कागजों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि C-S खाता- 18, प्लाट- 136, रकबा- 5 डी० से R-S खाता- 114, प्लाट- 264, रकबा- 4 डी० बना है अर्थात R-S खाता में 1 डी० जमीन कम पाये जाने के कारण विवाद पाया गया है। चूंकि हाल सर्वे त्रुटिपूर्ण है एवं Re-Survey हेतु सरकार का ~~निर्देश~~ प्राप्त है इसलिए मात्र हाल सर्वे में ~~किसी~~ व्यक्ति का नाम से खतियान आने की कारण उसे अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता है। उपर्युक्त कागजों का अध्ययन एवं सभी पक्षकारों की दलीलें एवं जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस नतीजे पर पहुँचती है कि R-S खाता-114 R-S. प्लाट- 264, रकबा- 4 डी० जमीन पर प्रथम पक्षकार विजय कुमार पिता- बनवारीलाल गोप का 2 डी०, द्वितीय पक्षकार कालीचरण साहू पिता- भगवत साहू का 1 डी० एवं तीसरे पक्षकार	

Scanned with CamScanner

(7)

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ____________ से ____________ तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 56 /2021–22

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.9.22 लगातार	रोहन गोप पिता - मदारी गोप को । उक्त भूमि पर अधिकार बनता है क्योंकि वादी उनके हक-हैसियत को सिद्ध करते हैं। न्यायालय के आदेशानुसार सभी पक्षकार उपरोक्त रकबा पर अपना दखल के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी प्रकार की विवाद से बचने के लिए सभी पक्षकार उक्त भूमि पर सीमांकन हेतु online आवेदन करेंगे। सीमांकन के बाद ही किसी प्रकार की संरचना का निर्माण करायेंगे। न्यायालय के आदेश का पालन सभी पक्षकार करेंगे। निर्णय से असंतुष्ट पक्ष DCLR Court लातेहार में अपीलवाद दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश से सभी पक्षकारों एवं राजस्व कर्मी को अवगत करायें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी बालूमाथ। 28.9.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ।	

Digitally signed by Mohammad AFTAB ALAM
Date: 2023.02.13 13:21:59 +05:30
Location: 192.168.188.91

Scanned with CamScanner